

अपील / 26 / 2021

न्यायालय जिला कलेक्टर, भरतपुर

मुरारीलाल पुत्र श्रीचन्दाराम जाति वैरवा निवासी अर्जुन नगर भरतपुर तहसील
भरतपुर जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार भरतपुर (प्रथम)

बनाम

.....रेसपो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश नायब
तहसीलदार प्रथम, भरतपुर दिनांक 10-12-2021

उपस्थित :-

- 1- श्री मोहन सिंह राना, अभिभाषक अपीलान्त,
- 2- राजकीय अभिभाषक रेसपो0

निर्णय

दिनांक 18.1.2024

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रेसपो0 व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार (प्रथम) भरतपुर दिनांक 10.12.2021 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्त अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 517/2.11 वाके ग्राम तुहिया किस्म गै. मु. सड़क में से 0.01 हे0 पर पक्का निर्माण बनाकर किये अतिक्रमण से वेदखल किये पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। न तो पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं। योग्य अभिभाषक तर्क है कि नोटिस धारा 91 एल आरएक्ट में अंकित आराजी की बाबत सिविल न्यायालय में रेगूलर दावा विचाराधीन है, तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में इस बात का उल्लेख किया गया है परन्तु तहत न्यायालय ने प्रार्थी के जबाब का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो नियम विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी कहना है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत स्थगन आदेश जारी

(2)

अपील / 26 / 2021
मुरारी लाल बनाम राज0 सरकार

किया हुआ है, जब तक सिविल सूट पेंडिंग है तब तक 91 की कार्यवाही किया जाना नियम विरुद्ध है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पों. की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन रास्ते पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। नायव तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलान्ट अतिक्रमी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 517/2.11 बाके ग्राम तुहिया किस्म गै. मु. सड़क में से 0.01 हे0 पर पक्का निर्माण बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार प्रथम भरतपुर ने अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पत्रावली में उपलब्ध माननीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या-2 भरतपुर के प्रकरण दीवानी विविध संख्या 221/22 मुरारी लाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि :-



“.....अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित मकान से प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन बेदखल न करे तथा मौके की आज तक की यथास्थिति बनाए रखे.....।”

चूँकि तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार प्रथम भरतपुर ने अपीलान्ट अतिक्रमी को नोटिस वगे. देकर जबाब आदि लेकर के नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का कोई ठोस कारण नहीं पाते हैं। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है। यहाँ यह उचित होगा कि नायव तहसीलदार प्रथम भरतपुर द्वारा आगामी कार्यवाही नियमानुसार सिविल न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन ही की जावे।


(3)

अपील / 26 / 2021
मुरारी लाल बनाम राज0 सरकार

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।
नायव तहसीलदार प्रथम भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि आगामी कार्यवाही
नियमानुसार सिविल न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन ही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

